



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229966
CG-DL-E-27092021-229966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3640]
No. 3640]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3974(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 16 पर (इसके बाद “एन एच सं.- 16” कहा जाता है) बालासोर से खड़गपुर खंड पर 83.400 कि.मी. से 88.400 कि.मी. तक (लगभग 5.00 किमी.) निर्माण हेतु, केंद्रीय सरकार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारि को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के कार्यों का पालन करें।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 60 (नया एन एच सं. - 16) की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH60 के कि.मी. 83.4 से 88.4 तक	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	नारायणगढ़	1 गोविंदपुर (जेएल नंबर- 419)

[फा. सं. ELF/LA/NHAI/PIU(KGP)/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3974(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of Development of Emergency Landing Facility on NHs: Construction from Km. 83.400 to Km. 88.400 on Balasore to Kharagpur section (Approximately 5.00 Km.) of National Highways No 16 (hereinafter called the “NH-16”) in the State of WEST BENGAL.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 60 (New NH No 16) in the State of WEST BENGAL.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (LA), Paschim Medinipur, West Bengal	83.4KM To 88.4KM	WEST BENGAL	Paschim Medinipur	Narayangarh	1 Gobindapur (JL No- 419)

[F. No. ELF/LA/NHAI/PIU(KGP)/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director